

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

दिनांक 1.11.2007 को प्रात 11.00 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालय राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 70वीं बैठक का कार्यवाही विवरण:
निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :-

1.	डॉ प्रताप नारायण	अध्यक्ष
2.	डा.सुरेश चौधरी ,विधायक	सदस्य
3.	डॉ भवानी सिंह	सदस्य
4.	डॉ उमा शंकर शर्मा	सदस्य
5.	श्री पोकर सिंह राठौड, परियोजना निदेशक (आयुक्त कृषि के नामित)	सदस्य
6.	डॉ के.एम.एल.पाठक	सदस्य
7.	डा. आर.ए.सिघानिया	सदस्य
8.	डा ए.के. श्रीवास्तव	सदस्य
9.	डा. जब्बर सिंह सौलकी	सदस्य
10.	डा. पी. एल. नेहरा	सदस्य
11.	डॉ. स्वरूप सिंह	सदस्य
12.	श्री आर. के पाल	सदस्य
13.	श्री पाल सिंह	सदस्य सचिव

आमंत्रित सदस्य

1. श्री राजकुमार दाधीच, (वित्त नियंत्रक)

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव कृषि, सचिव पशु पालन, डॉ. मधुसूदन शर्मा, श्री रतन लाल डागा, सदस्य प्रबन्ध मण्डल बैठक में भाग नहीं ले सके ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति ने डॉ सुरेश चौधरी, विधायक, श्री पोकर सिंह राठौड व अन्य माननीय सदस्यों के बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया साथ ही डॉ. आर. ए. शर्मा द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की तथा डॉ. स्वरूप सिंह के नये सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया कि यह बैठक विशेष रूप से कैरियर एडवांस स्कीम के अन्तर्गत वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित ग्रेड हेतु पदोन्नति बाबत गठित चयन समिति की दिनांक 10.9.07 से 16.9.07 तक साक्षात्कार की अनुशंसा को खोलने व संलग्न शर्तानुसार अनुमोदन करने बाबत है।

राकृवि/बोम-70/
2007-4/1065

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 03.8.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत।

यह पारित(Resolved) किया गया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 3.8.2007 के कार्यवाही विवरण की निम्न के साथ पुष्टि की जाए:-

राकृवि/बोम-69/2007-3/1060

माननीय सदस्यों ने दो वर्षीय पशुधन सहायक डिप्लोमा कोर्स शुरू किये जाने पर की जारी प्रक्रिया पर आपत्ति व्यक्त की। विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक एफ /सामान्य/राकृवि/ग्रुप 2/07/581-630 दिनांक 28.9.2007 जिसमें 46 संस्थाओं को अस्थाई एवं सशर्त सम्बद्धता प्रदान की गई इनमें से 5 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें इस शर्त के साथ सम्बद्धता प्रदान की गई है कि वे तीन माह के अन्दर रिक्त पदों को भर कर विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे, पर आपत्ति व्यक्त की गई, साथ ही सम्बद्धता आदेश करने से पूर्व संस्थाओं का समिति द्वारा भौतिक सत्यापन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश व सम्बद्धता देने हेतु प्रावधानों का परीक्षण किये बिना अस्थाई एवं सशर्त सम्बद्धता आदेश जारी किये जाने पर भी आपत्ति व्यक्त की गई। साथ ही अन्य संस्थाओं में भी जल्द से जल्द गठित कमेटी को भेजकर निरीक्षण करवाया जाना चाहिए, माननीय सदस्यों की राय थी। माननीय सदस्यों ने माननीय उच्च न्यायालय से पारित निर्णय की प्रति व विभिन्न गठित कमेटीयों की रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करने के लिये कहा।

डॉ ए.के.गहलोत, अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को बैठक में आमंत्रित कर उक्त प्रकरण पर वस्तुस्थिति से सदन को अवगत कराने के लिये कहा गया। डॉ गहलोत ने सदन को अवगत कराया कि सरकार द्वारा दो वर्षीय पशुधन सहायक डिप्लोमा कोर्स के लिये जारी आदेश की प्रति प्राप्त हो गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व गठित विभिन्न समितियों की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह पारित किया गया कि उक्त पाँचों संस्थाओं में जहां स्टॉफ व अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वहाँ 14.11.2007 से पूर्व गठित कमेटी के सदस्य भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। चूंकि विश्वविद्यालय में दिनांक 3.11.2007 से 13.11.2007 तक दीपावली अवकाश है इसलिये अधिष्ठाता पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय को अधिकृत किया जाता है कि भौतिक सत्यापन उपरोक्त समय में करवाया जाए। साथ ही जल्द से जल्द अन्य संस्थाओं का भी गठित समिति से भौतिक सत्यापन करवा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। डॉ ए.के.गहलोत, माननीय उच्च न्यायालय से पारित आदेश व विभिन्न समितियों की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त करें साथ ही विश्वविद्यालय के सम्बद्धता संबंधि प्रावधानों का परीक्षण कर शीघ्र प्रस्तुत करें।

	<p>राकृवि/बोम-69/2007-3/1060(2) डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव माननीय सदस्य ने अधिष्ठाता एवं निदेशकों को देय मानदेय में पारित आदेश से MPUAT का हवाला देने पर आपत्ति व्यक्त की गई ।</p> <p>पारित किया गया कि पारित निर्णय में से MPUAT word delete किया जाए और विश्वविद्यालय अधिष्ठाता/निदेशकों को देय मानदेय बढ़ाने पर सहमति व्यक्त नहीं की गई ।</p> <p>राकृवि/बोम-69/2007-3/1064(5) डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव, माननीय सदस्य ने पेंशन विकल्प के पुनः लेने के बारे में चर्चा की और विश्वविद्यालय द्वारा 24.8.2007 को जारी आदेश जिसमें पेंशन नियमों के अनुसार विकल्प एक बार ही दिया जाता है अतः नियमानुसार इस पर पुनः विचार नहीं किया जा सकता पर आपत्ति व्यक्त की और पुर्नविचार की आवश्यकता बताई ।</p> <p>प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह पारित किया गया कि प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण न कर राज्य सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए, जिससे निर्णायक विचार हो सकें ।</p>
<p>राकृवि/बोम-70/ 2007-4/1066</p>	<p>प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 03.8.2007 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत ।</p> <p>यह पारित(Resolved) किया गया कि कार्यवाही विवरण के बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही पुष्टि की जाती है ।</p>
<p>राकृवि/बोम-70/ 2007-4/1067</p>	<p>केरियर एडवॉन्समेंट के अन्तर्गत वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित ग्रेड हेतु पदोन्नति बाबत गठित चयन समिति की दिनांक 10.9.07 से 16.9.07 तक साक्षात्कार की अनुशंसा को खोलने व संलग्न शर्तानुसार अनुमोदन बाबत ।</p> <p>यह पारित(Resolved) किया गया कि केरियर एडवॉन्समेंट योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.2(12)Agri/Gr.2/2001 dated 19.1.2007 एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से प्राप्त पत्रांक F.No.1(02)/06 Per IV dated 13.2.2007 के दिशा निर्देश एवं स्पष्टीकरण पत्रांक DS(p)/RAU/Misc/2007 dated 1.10.2007 के अनुसार पात्रता धारक सहायक आचार्यों के वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित ग्रेड हेतु पदोन्नति बाबत दिनांक 10.9.07 से 16.9.07 तक विश्वविद्यालय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिये गये । चयन समिति के सम्मुख 70 सहायक आचार्यों ने सहायक आचार्य वरिष्ठ वेतनमान रुपये 10000-15200 एवं 163 सहायक आचार्यों वरिष्ठ वेतनमान ने सहायक आचार्य चयनित ग्रेड रुपये 12000-18300 हेतु साक्षात्कार में उपस्थित हुए । चयन समिति ने 70 सहायक आचार्यों को वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति की अनुशंसा की एवं 158 सहायक आचार्यों को चयनित ग्रेड हेतु अनुशंसा की जिनका प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया । पाँच सहायक आचार्यों क्रमशः डॉ श्रीमति अमिता दास, डॉ ए.के.भंसाली, श्री डी.एस.राव(सेवानिवृत्त) के पदोन्नति की अनुशंसा नहीं की क्योंकि इन्होंने सेवानिवृत्ति से पूर्व आवश्यकता अनुरूप</p>

2/11/17

